श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न से मैं सहमत हूं। राज्य सरकारों को राज्य विद्युत बोर्डों को जो सहायता करनी चाहिए थी, उस के कारण फंड्स रिलीज न करने के अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन ये वास्तविक कारण हैं जिनके लिए वर्ल्ड बैंक ने जो 350 मिलियन डॉलरर्स का ऋण उड़ीसा के लिए सेंक्शन किया था उस का यूटिलाइजेशन न होने के कारण उसे 250 मिलियन डॉलर दिया गया है। सभापति महोदय, यह जो 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है, वह भी अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है जब कि इस का पीरियड 2004 तक का है। सिर्फ 170 मिलियन डॉलर का यूटिलाइजेशन हो पाया है और अभी भी 85 मिलियन डॉलर यूटिलाइज नहीं किए हैं, यह वास्तविकता है।

SHRI B. J. PANDA : My question is : Whether the State Government has asked for any help or any assistance in repaying this loan and whether the Central Government will consider giving that assistance ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, इस प्रकार की कोई मांग राज्य सरकार से नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा मंजूर किया हुआ ऋण जो कम किया गया था, उस के लिए जो सहायता मांगी गयी थी, वह सहायता दी गयी है। यूटिलाइजेशन कम होने के कारण 50 मिलियन डॉलर पिछले वर्ष कम करने का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक में था, लेकिन केन्द्र सरकार की मध्यस्थता से 50 मिलियन डॉलर के बजाय 35 मिलियन डॉलर कम हुआ और 15 मिलियन डॉलर अतिरिक्त ऋण उड़ीसा सरकार को मिल पाया है।

Survey of Christians in Gujarat

*649. SHRI RAJU PARMAR† :
SHRI BHAGAT RAM MANHAR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that All India Christian Council have condemned the Gujarat Government's move to conduct a survey of Christians living in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed to be taken by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I. D. SWAMI) : (a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The State Government of Gujarat has informed that no survey or census of any particular community in the State has been ordered by them.

† The qustion was actually asked on the floor at the House by Shri Raju Parmar

The All India Christian Council has, however, filed a Special Civil Application in the Gujarat High Court in this regard which is pending in the High Court of Gujarat at Ahmedabad.

श्री राजू परमार : चैयरमेन सर, स्टेट गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है कि ऐसा कोई सर्वे क्रिश्चियंस के संबंध में नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है। यह हाऊस को मिस-इंफॉर्म किया जा रहा है। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी तक तीन बार ऐसा सर्वे करने की कोशिश की है। पहली बार वर्ष 1991 में ऐसा सर्वे कराने की कोशिश की गयी थी जिस को हाई कोर्ट ने बंद करवाया था। दूसरी बार, 2001 में भी क्रिश्चियंस का ऐसा सर्वे कराने की कोशिश गुजरात गवर्नमेंट ने की थी और अभी तीसरी बार वर्ष 2003 में भी यह सर्वे कराने की बात चल रही है। मैं आप की जानकारी और पूरे हाऊस की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी स्टेट के स्टेट होम मिनिस्टर ने पब्लिकली कबूल किया है कि ऐसा सर्वे हो रहा है। उसमें उन्होंने जो कारण बताया, वह यह कि लोक सभा के सांसद राम विलास पासवान जी ने ऐसा एक क्वैश्चन किया है कि गुजरात में कितने लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया है और उसके जवाब में ऐसा सर्वे हम लोग कर रहे हैं। क्या यह जानकारी हमारे आदरणीय मंत्री महोदय को नहीं है ? उस हाऊस में पासवान जी ने इस इश्यू को रेज किया और कहा कि मैंने ऐसा कोई क्वैश्चन पूछा ही नहीं है और इसके लिए वे प्रिवीलेज मोशन लाए तो स्पीकर साहब ने वह प्रिवीलेज मोशन गुजरात के स्पीकर को रेफर किया। क्या यह जानकारी हमारे होम मिनिस्टर साहब को नहीं है ? इसके बारे में क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति जी, यह बात सही है कि वर्ष 1999 में भी यह सवाल उठा था और वर्ष 1999 में क्रिश्चियन आर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई थी। तो उस वक्त एक ऑर्डर जो डी०जी० ने वहां जारी किया था, उसको विद्ड्रा कर लिया गया था और पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई थी। उसके बाद दुबारा जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो 184 का नोटिस था, उसकी वजह से जो कनवर्शन के खिलाफ एक लॉ बनाना चाहते थे उसके सिलसिले में जब इन्फोरमेशन मांगी गई तो तमाम एस०पीज० को विद-इन-टू-डेज चिट्ठी गई। उस सिलसिले में जब किसी थाने में एक दो जगह जाकर पूछा गया तो उस समय इस क्रिश्चियन आर्गेनाइजेशन ने हाई कोर्ट में फिर पिटीशन की। हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। इसमें हाई कोर्ट ने यह ओब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अथोरिटी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल इन्क्वायरी के सिलसिले में, इंटरोगेशन के सिलसिले में कोई इंफोरमेशन कलेक्ट करने के सिलसिले में जो भी इन्फोरमेशन लेना चाहे, वह ले सकती है और इसलिए वह पिटीशन डिसमिस हो गई थी। अब जो सवाल आया है कि इस तरह से लोकल इन्क्वायरी किसी थाने में की गई और उन्होंने बार-बार यह कहा कि हमने कहीं सर्वे कराया है, तो कभी सर्वे नहीं कराया, सर्वे का कोई ऑर्डर नहीं है। अब तो वे हाई कोर्ट में चले गए हैं, That Christian Organisation has already gone to the High Court और हाई कोर्ट ने जून में उसकी पेशी रखी हुई है। गुजरात ने अपना एफीडेविट फाइल कर दिया है। यह एफीडेविट भी इन्हीं लाइन्स पर है कि हमने कभी कोई सर्वे नहीं कराया। वैसे For

the information of the House, through you, I may say, कि यह मामला थोड़ा सा सेंसटिव हो जाता है, लेकिन रिलिजियन के बेसिस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया डिसेनियल सेंसस होती है, हर घर में जाकर इंफोरमेशन रिलिजियन के बारे में ली जाती है और उसकी किताब छपवाई जाती है।

श्री राजू परमार : प्रिवीलेज मोशन के बारे में आपने नहीं बताया।

श्री सभापति : दूसरे हाऊस का कैसे बता सकते हैं ?

श्री राजू परमार : सर, प्रिवीलेज मोशन लाया गया है। ....**(व्यवधान)**....

श्री सभापति : किस हाऊस में लाया गया है ? ....**(व्यवधान)**....

श्री राजू परमार : सर, वैसे सर्वे नहीं हो रहा, यह बात सही है, लेकिन वहां के मिनिस्टर ने खुद कबूल किया है। ....**(व्यवधान)**....

श्री सभापति : नहीं, नहीं। अगर दूसरा क्वैश्चन आपको करना हो तो कर लीजिए।

श्री राजू परमार : सर, सेकेण्ड सप्लीमेंटरी पूछना है। आज गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस है और उनके साथ जुड़े हुए संगठन बजरंग दल, वीएचपी, यह सब हैं। गुजरात के अंदर इन संगठनों के जरिए जो लिटरेचर बांटा जाता है, जो पत्रिकाएं बांटी जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि पहले माइनोरिटी का सफाया किया जाए। क्रिश्चियन का सफाया किया जाए और

श्री सभापति : नहीं सफाया नहीं। इस क्वैश्चन में तो सेंसस का मामला है।

श्री राजू परमार : और बाद में दलितों का सफाया किया जाए। ....**(व्यवधान)**.... क्या ऐसा डाटा कलेक्ट करके उनको दे दिया जाएगा। जिस तरह अभी गुजरात में राइट्स हुए और उसमें माइनोरिटी को चुन-चुन कर उनके घर जलाए गए, चुन-चुन कर उनकी दुकानें जलाई गईं, क्या ऐसी बात क्रिश्चियनों के साथ भी की जाएगी ? ....**(व्यवधान)**....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बैठिए।

SHRI JANARDHANA POOJARY : This is not fair, (*Interruptions*) Why are you getting up ? (*Interruptions*)

श्री सभापति : पुजारी जी, आप बैठिए। .....**(व्यवधान)** आप इस क्वैश्चन को कहां ले गए। आप खुद ही विचार करें कि इस क्वैश्चन की परिधि में यह आता है क्या ? क्वैश्चन है सेंसस का और आप ले जाते हैं दूसरे मामलों में।

श्री राजू परमार : नहीं, नहीं, सर, यह हो रहा है। .....**(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप देखिए, इस क्वैश्चन को। .....**(व्यवधान)** इस क्वैश्चन में कहां से गुजरात का दंगा आ गया। ....**(व्यवधान)**

श्री भगत राम मनहर : सभापति महोदय, सर्वे करना और इन्फोरमेशन कलेक्ट करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी भी जाति, धर्म आदि के सर्वेक्षण और उनकी जनगणना का अधिकार किसी भी देश में सेंसस विभाग को है। गुजरात सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में ईसाइयों का सर्वेक्षण कराने का क्या मकसद है ? इस प्रकार के सर्वे अनैतिक एवं गैर-कानूनी हैं। इस कार्रवाई पर विराम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि गुजरात गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया ही नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल इंक्वायरी अगर कहीं की है तो उसका जवाब आ चुका है।

प्रो० अलका क्षत्रिय : धन्यवाद सभापति जी।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो सरकार का ही एक हिस्सा है और अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक प्रोफार्मा सभी एसपीज़ को भेजा था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि उस प्रोफार्मा की विगत क्या है ? प्रोफार्मा में क्या-क्या मांगा गया था सर्वे के अंदर और क्या मंत्री जी कबूल करते हैं कि ऐसा कोई प्रोफार्मा भेजा गया था ? अगर मंत्री जी मानते हैं कि प्रोफार्मा भेजा गया था तो मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हर जगह यह प्रोफार्मा भेजा है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति जी, सैंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है, उसकी तरफ से गुजरात गवर्नमेंट को या किसी एसपी को कोई प्रोफार्मा नहीं भेजा गया। अगर वहां की सीआईडी ने कोई प्रोफर्मा कोई इन्फारमेशन लोकल लैवल पर एसपी को भेजी थी तो उसके बारे में मैंने जबाव दिया है कि वह एसपी से कोई इन्फारमेशन कलेक्ट करने के लिए थी क्योंकि वे एंटी कन्वर्जन बिल पास करना चाहते थे। उस वक्त वह इंक्वायरी की थी और सब एसपी से, सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि गुजरात में सभी एसपीज़ से पूछा गया था क्योंकि 6 स्टेट्स ने आलरेडी एंटी कन्वर्जन एक्ट बना रखा है, वे भी बनाना चाहते थे। उस सिलसिले में जो इंक्वायरी की गई थी उस पर भी क्रिश्चियएन आरगेनाइजेशन की तरफ से हाई कोर्ट में एक पेटीशन दाखिल की गई थी। वह पेटीशन डिसमिस्ड हुई और उसमें ऑब्जर्वेशन हुई कि सरकार को पूरा अख्तियार है इस तरह की इन्फारमेशन कलेक्ट करने का।

प्रो० अलका क्षत्रिय : सर, मैं जानना चाहती हूं कि इस तरह का कोई प्रोफार्मा भेजा गया था या नहीं ? अगर भेजा गया था तो मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप बैठिये। अब कौन गुमराह कर रहा है, पता ही नहीं लग रहा।

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैं आपके ज़रिए विनम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि कौन से गृह मंत्री जी सत्य बोल रहे हैं ? जिन गृह मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है उन्होंने कहा है कि....

श्री सभापति : कहां उत्तर दिया है ?

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैं उसी प्वाइंट पर कह रहा हूं कि यह गलत जानकारी दी गई है।

श्री सभापति : कहां उत्तर दिया है—लोक सभा में या राज्य सभा में ?

श्री सुरेश पचौरी : सर, राज्य सभा में दिया है। आज का जो प्रश्न संख्या 649 है, उसमें जो स्टेटमेंट है, उसमें यह है कि :

"The State Government of Gujarat has informed that no survey or census of any particular community in the State has been ordered by them."

माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री ईश्वर दयाल स्वामी जी ने यह स्वीकार किया कि फरवरी, 1999 में एक सर्वे हुआ था, जिसका वहां के हाई कोर्ट ने काग्निजेंस लिया था और जो सीक्रेट सर्वे का सरकुलर था, फिर उसको निरस्त किया गया था। तो पहला प्रश्न तो यह उठता है कि यह स्टेटमेंट करेक्ट है या माननीय गृह राज्य मंत्री जी का वक्तव्य करेक्ट है ?

श्री सभापति : एक और पूछ लीजिएगा कि हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है या नहीं और वह कौन सा सही है।

श्री सुरेश पचौरी : वह तो इन्होंने स्वीकार किया है कि हाई कोर्ट ने काग्निजेंस लिया है। यह तो इन्होंने स्वीकार किया है कि गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो काग्निजेंस लिया है सीक्रेट कंट्रोवर्शियल सरकुलर के मामले में। तो एक तो मेरा यह कहना है कि इस वक्तव्य के द्वारा जो जानकारी दी गई है वह गलत है।

दूसरे भाग के रूप में मेरा यह कहना है कि खुद मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो वहां गुजरात के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ जानकारी चाही थी। उस जानकारी के चाहने पर वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में जो एक असुरक्षा का वातावरण हो गया है और उसकी वजह से जो उन्हें रिप्रजेंटेशन मिला है उस रिप्रजेंटेशन की वजह से क्या यह सही है कि नेशनल कमीशन फार माइनॉरिटिज़ ने गुजरात सरकार को मार्च, 2003 में इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है ? यदि नोटिस जारी किया है तो उस नोटिस के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, पहली बात तो मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मेरे जवाब में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, पहले भी मेरा यही जवाब था, आज भी यही जवाब है। मैंने यह कहा था कि 1999 में जब एक सरकुलर जारी हुआ था, वह तुरंत विद्ड्रा कर लिया गया था। This is a fact कि सर्वे नहीं हुआ। मैंने यह कहा कि गुजरात गवर्नमेंट आज भी यह कह रही है कि सर्वे नहीं कराया गया। जब उस पर ऐतराज़ हुआ या एप्रिहेंशन हुई, उसी वक्त वह सरकुलर वापिस ले

लिया गया था। अब जब दूसरे सर्वे के बारे में कहा गया है, तो अभी भी यही जवाब है कि सर्वे नहीं कराया गया है।

जहां तक माइनॉरिटीज कमीशन के नोटिस का सवाल है तो That particular organisation has already gone to the High Court, and the High Court has fixed the case for 6th of June.

MR. CHAIRMAN : Now, Question No. 650.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सर, मेरा नाम रह गया है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आप तो यहां रहेंगे न। प्रश्न संख्या 650 डा० अबरार अहमद।

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मेरा दल श्री जॉर्ज फर्नान्डीज को रक्षा मंत्री के रूप में रिकोगनाइज नहीं करता है, इसलिए मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूं।

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, इस संबंध में आपको कुछ करना चाहिए। हम लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप हमारे संरक्षक हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसी पहल करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्‌बुद्धि दें। यह तो उनका prerogative है कि डिफेंस मिनिस्टर किसी और को बना दें ताकि डिफेंस जैसे इश्यू पर हम सवाल पूछ सकें। आदरणीय उपप्रधानमंत्री जी ने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि जल्दी ही इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। आज वे यहां उपस्थित हैं, यह हमारा अहोभाग्य है, मेरी प्रार्थना है कि वे भी इस संबंध में कुछ पहल करें. ....**(व्यवधान)**

श्री सभापति : छोड़िए, छोड़िए ....**(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसाद : महोदय, यह इतना सेंसिटिव इश्यू है ....**(व्यवधान)**....

श्री सभापति : आप जो यह कह रहे हैं, वह सही है। लालू जी, मैं इस संबंध में इतना बता दूं कि बातचीत हो रही है ।

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, जो आप फैसला करें।

* 650 WITHDRAWN

*651 [The questioner (Shri K. Rama Mohan Rao) was absent. For answer *vide* page 44 *infra*]